

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

देशीज अनाज मुजोस बग

तारीख हुक्म


हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

दावा

मु. नं - 85 / 2020

29.03.2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं। अतः साक्ष्य वादी बन्द की जाती है। वकील वादी ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने बाबत निवेदन किया गया। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
(दिलीप सिंह) 29/03/22

सहायक कलक्टर (आस्ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)